प्रेस विज्ञप्ति
06.09.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने पंजाब के पूर्व खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री भारत भूषण शर्मा उर्फ आशु के सहयोगी राजदीप सिंह नागरा को खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित टेंडर घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 04.09.2024 को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जालंधर के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने 4 दिनों के लिए ईडी की हिरासत दी है।

ईडी ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग में 'टेंडर घोटाले' से संबंधित आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सतर्कता ब्यूरो, पंजाब द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि राजदीप सिंह नागरा ने ठेकेदारों से रिश्वत एकत्र की और अपराध की उक्त आय (पीओसी) को भारत भूषण आशु, राकेश कुमार सिंगला और पंजाब खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के सरकारी अधिकारियों सहित अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दी और कमीशन की कुछ राशि स्वयं भी रख ली। तदनुसार, 04.09.2024 को राजदीप सिंह नागरा के चार आवासीय और व्यावसायिक परिसरों पर पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत एक तलाशी कार्रवाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक अपराध-संकेती दस्तावेज और दो मोबाइल फोन बरामद और जब्त किए गए, जिसके विश्लेषण से पता चला उक्त राजदीप सिंह नागरा उक्त निविदा घोटाले में पीओसी के हस्तांतरण के लिए ठेकेदारों और पूर्व मंत्री/सरकारी अधिकारी के बीच माध्यम था।

इससे पहले, ईडी ने पिछले साल टेंडर घोटाले में तलाशी अभियान चलाया था, जिसमें नकदी जब्त की गई थी और बैंक खातों में पड़ी धनराशि को जब्त कर लिया गया था, कुल 8.46 करोड़ रुपये से अधिक की सोने के आभूषण और सोने की बुलियन की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया था। इसके अलावा, पिछले महीने पंजाब के पूर्व खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री भारत भूषण शर्मा उर्फ आशु को भी उक्त मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

आगे की जांच प्रगति पर है।